पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी शिकार हुए ऑन लाईन ठगी के

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) आरएम लोढ़ा के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ठगों ने पूर्व सीजेआई को अपने जाल में फंसाकर उनसे एक लाख रुपये ठग लिए। इस संबंध में मालवीय नगर थाने में आईपीसी एक्ट की धारा 420, 415, 416 और आईटी एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूर्व सीजेआई अपने परिवार के साथ पंचशील पार्क इलाके में रहते हैं। उनके पूर्व सहयोगी और रिटायर्ड जस्टिस बीपी सिंह की मेल आईडी हैक कर चचेरे भाई का इलाज कराने पर के नाम पर आरोपी ने अपने अकाउंट में एक लाख रुपये जमा करवा लिए।

मेल आईडी रिस्टोर करने पर हुई जानकारी : पूर्व जस्टिस बीपी सिंह मेल हैक होने के बाद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने 30 मई को अपनी मेल आईडी रिस्टोर की और सभी परिचितों को मेल आईडी हैक होने की सूचना दी। पूर्व सीजेआई ने जब मेल देखी तो उन्हें अपने साथ ठगी होने का पता चला।